



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273766
CG-DL-E-23062026-273766

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3236]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948

No. 3236]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

का.आ. 3369(अ).— केन्द्रीय सरकार जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 23 जून 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसका उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक वे उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम संख्या 37 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों से है जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 11/2/2019-EP(MP) Pt.I]

प्रिया पी. नायर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2026

S.O. 3369(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (No.8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 23rd day of June, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 37 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972), shall come into force.

[F. No. 11/2/2019-EP(MP) Pt.I]

PRIYA P. NAIR, Economic Adviser